

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रायसिंहनगर  
 राजस्थान सरकार  
 कमांक:- 25/25/13

दिनांक:- 16/10/25

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी ..... 45AD (पालनर) ..... व  
 भू.अ.नि. वरुडवाली ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के  
 अनुसरण में ग्राम 45AD तहसील राजसिंहनगर व जिला राजसिंहनगर की जमाबंदी  
 सम्वत 2075 ई. 74 में खाता संख्या 74 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से  
 शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र०सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि खाता सं. 74	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) खाता - 74
1	45AD	74	बकीलसिंह S/O मखवासिंह खाति खातेदार च.न. - 162/346 मु.न. 39 = 1.550 है खालामय कमोड रदन - SBBJ शाखा नई धान मंडी रायसिंह नगर	बकीलसिंह S/O मखवासिंह खाति खातेदार देह खातेदार च.न. 162/346 मु.न 39 = 1.550 है खालामय कमोड रदन - SBBJ शाखा नई धान मंडी रायसिंहनगर

20/10/25  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 रायसिंहनगर

- कमांक:-  
 1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद  
 शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।  
 2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।  
 3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 रायसिंहनगर

